राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1300/2020

मुकेश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक, राजस्थान–पुलिस, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर, जिला सीकर।
5. मुकेश कुमार हैड कानि. नं. 871, कार्यरत अन्तर्गत जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर।
6. नरेश कुमार हैड कानि. नं. 865, कार्यरत अन्तर्गत जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.10.2020

आदेश की दिनांक : 24.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजय बोथरा, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 की रिक्तियों का वर्षवार निर्धारण करते हुये वर्षवार पदोन्नति के आदेश जारी किय जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 से पूर्व की हैड कांस्टेबल की

वरिष्ठता प्रदान की जावे तथा वर्ष 2013–14 की हैड कांस्टेबल की पदोन्नति में दिनांक 09.08.2016 को चयनित सूची को यथावत रखा जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर अप्रेल, 2006 में कांस्टेबल के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.04.2006 को कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा दिनांक 05.01.2016 को वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल के कुल 105 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा आयोजित करने के लिये विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कुल हैड कांस्टेबल के 105 पदों में से एससी वर्ग में 16 पद, एसटी वर्ग में 12 पद एवं सामान्य वर्ग में 77 पदों की पदोन्नति हेतु विज्ञप्ति जारी की, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया, लिखित परीक्षा में अपीलार्थी उत्तीर्ण होने के पश्चात् दिनांक 17.03.2016 को आउटडोर में भेजा गया तथा उसके पश्चात् साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के पश्चात् प्रत्यर्थीगण ने कुल 105 पदों को 88 पद स्वीकृत रिक्त मानते हुये एसटी वर्ग में कुल 12 पदों में से 10 रिक्त पदों पर ही कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर चयन किया गया। अपीलार्थी का चयन करने के पश्चात् अपीलार्थी को पीसीसी हेतु प्रशिक्षण के लिये पुलिस लाईन, सीकर में भेजा गया। चयन सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 88 पर है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 का नाम अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के कारण उक्त चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी पीसीसी उत्तीर्ण करने के पश्चात् दिसम्बर, 2016 में हैड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापन के पश्चात् कार्यग्रहण किया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 ने वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में चयन प्रक्रिया में शामिल होने पर वर्ष 2016–17 में चयन किया गया। परंतु प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अवैध एवं अनुचित रूप से आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों से विलोपित/विभर्जित करते हुये वर्ष 2017–18 में अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष परिवर्तित किया गया। अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 में चयनित हैड कांस्टेबल से कनिष्ठ मानते हुये वर्ष 2017–18 में वरिष्ठता प्रदान की गई, जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के विपरीत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आगे कथन किया है कि दिनांक 17.03.2016 के आदेश के द्वारा योग्यात्मक आउटडोर एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु सूची तैयार की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या

199 पर अंकित है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 201 पर है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 का नाम क्रम संख्या 203 पर अंकित है, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं। निजी प्रत्यर्थी ने कभी भी वरिष्ठता के संबंध में किसी भी न्यायालय में अपीलार्थी की पदोन्नति को चुनौती नहीं दी, बिना किसी न्यायालय के आदेश के प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष को परिवर्तन किया गया है तथा निजी प्रत्यर्थीगण का अपीलार्थी से वरिष्ठ मानते हुये वर्ष 2013–14 में पदोन्नति प्रदान की गई है, जो विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थीगण के पास वर्ष 2013–14 में एसटी संवर्ग में 12 रिक्त पद थे, जिन पर 10 हैड कांस्टेबलो को ही पदोन्नति प्रदान की गई है। 2 पद उक्त वर्ष में रिक्त रखे गये तथा प्रत्यर्थीगण के पास वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल से एएसआई की पदोन्नति हेतु दिनांक 14.09.2015 को जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें एसटी वर्ग में 4 पद रिक्त दर्शित किये गये थे, जिसमें एसटी वर्ग में एक भी हैड कांस्टेबल का एएसआई में पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जबकि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 10 के अनुसार प्रत्यर्थीगण ने रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया तथा प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 04.03.2016 को सीकर जिले के लिये सहायक उप निरीक्षक के कुल 41 पद दर्शित किये थे, जिनमें एसटी वर्ग में 6 पद दर्शित किये थे, जिन पर भी पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जबकि उक्त वर्ष में भी नियमानुसार एसटी वर्ग में पदोन्नति की जाती तो हैड कांस्टेबल के पद रिक्त माने जाते तथा प्रत्यर्थीगण ने अपने जवाब के साथ में वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के संबंध में जो रोस्टर रजिस्टर व रिक्तियों के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसमें भी प्रत्यर्थीगण के पास दिनांक 01.04.2013 को अनुसूचित जनजाति में कुल 17 पद स्वीकृत थे, जिनमें दिनांक 01.04.2013 को 14 व्यक्ति कार्यरत थे तथा 3 पद रिक्त थे। उसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा 10 पद दिनांक 01.04.2013 को नव सृजित एसटी वर्ग में किये गये, कुल 13 पद स्वीकृत थे। परंतु उक्त वर्ष 2013–14 में प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 09.08.2016 के द्वारा 10 व्यक्तियों को ही कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा 3 पद रिक्त रखे गये। वर्ष 2013–14 में एसटी वर्ग में पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी का वर्ष 2013–14 से आलोच्य आदेश द्वारा वर्ष 2017–18 में पदोन्नति वर्ष परिवर्तन करना राजस्थान अधीनस्थ पुलिस सेवा नियम, 1989 के प्रावधानों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 की रिक्तियों का वर्षवार

निर्धारण करते हुये वर्षवार पदोन्नति के आदेश जारी किय जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 से पूर्व की हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता प्रदान की जावे तथा वर्ष 2013–14 की हैड कांस्टेबल की पदोन्नति में दिनांक 09.08.2016 को चयनित सूची को यथावत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 14.11.2019 एवं 04.06.2020 के द्वारा वर्ष 2019–20 की नियमित योग्यात्मक परीक्षा के लिये गठित चयन मंडल को ही वर्ष 2013–14 व 2016–17 की हैड कांस्टेबल के पद की चयन सूची को रिव्यू के लिये अधिकृत किये जाने पर चयन मंडल द्वारा दिनांक 01.04.2013 की संशोधित स्थायी वरिष्ठता के अनुसार अपीलार्थी को भर्ती मेरिट वरिष्ठता क्रम में नहीं आने के कारण अपीलार्थी का पदोन्नति वर्ष परिर्वतन किया गया है तथा वर्ष 2013–14 में 105 की जगह 89 पद संशोधित किये जाने पर एसटी वर्ग में 11 पद ही रिक्त थे तथा नरेश कुमार हैड कांस्टेबल ने दिनांक 26.11.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर चयन सूची का परिवर्तन किया गया है, जो नियमानुसार जारी आदेश है। अपीलार्थी को वरिष्ठता अनुसार ही वर्ष परिवर्तन किया गया है तथा अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रम में नाम नहीं आने के कारण वर्ष 2013–14 से 2017–18 में परिवर्तन किया गया है, जो उक्त आधार पर नियमानुसार जारी आदेश है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर अप्रेल, 2006 में कांस्टेबल के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.04.2006 को कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा दिनांक 05.01.2016 को वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल के कुल 105 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा आयोजित करने के लिये विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कुल हैड कांस्टेबल के 105 पदों में से एससी वर्ग में 16 पद, एसटी वर्ग में 12 पद एवं सामान्य वर्ग में 77 पदों की पदोन्नति हेतु विज्ञप्ति जारी की, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया, लिखित परीक्षा में अपीलार्थी उत्तीर्ण होने के पश्चात्

दिनांक 17.03.2016 को आउटडोर में भेजा गया तथा उसके पश्चात् साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के पश्चात् प्रत्यर्थीगण ने कुल 105 पदों को 88 पद स्वीकृत रिक्त मानते हुये एसटी वर्ग में कुल 12 पदों में से 10 रिक्त पदों पर ही कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर चयन किया गया। अपीलार्थी का चयन करने के पश्चात् अपीलार्थी को पीसीसी हेतु प्रशिक्षण के लिये पुलिस लाईन, सीकर में भेजा गया। चयन सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 88 पर है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 का नाम अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के कारण उक्त चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी पीसीसी उत्तीर्ण करने के पश्चात् दिसम्बर, 2016 में हैड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापन के पश्चात् कार्यग्रहण किया तथा अपीलार्थी के उक्त चयन को किसी भी कार्मिक ने किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी तथा निजी प्रत्यर्थीगण का वर्ष 2016–17 में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिन्होंने कार्यग्रहण भी कर लिया। निजी प्रत्यर्थीगण की पदोन्नति होने के पश्चात् आलोच्य आदेश के द्वारा वर्ष परिवर्तन करना विधि अनुसार नहीं है। परंतु ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य